नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 208/07 उपनिवेशन विविध

किसनाराम पुत्र रूपाराम जाट निवासी 2 एलकेडी तहसील छत्तरगढ़

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. जगदीश पुत्र बन्नाराम रेगर निवासी बड़ली तहसील नागौर हाल चक 2 एफकेडी तहसील छत्तरगढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त, इगानप, छत्तरगढ़

—अप्रार्थी

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश लदरेचा
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीपी मदान
3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गां.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.12.19

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र दिनांक 09.06.03 को आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 केएलडी के मु.नं. 6/3 व 5/23 का अधिकाशं हिस्सा नहर व सड़क के कारण गैर कृषि योग्य हो गयी है। भूमि काश्त योग्य नही रही। इस पर आवंटन अधिकारी ने इसी चक का मु.नं. 6/10 के किला नं. 6 से 25 की 20 बीघा भूमि आवंटित कर दी जिसे अप्रार्थी जगदीश वल्द बन्नाराम रेगर ने राजस्व अपील अधिकारी से अपने पक्ष मे फैसला करवा लिया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने निगरानी/कोला./361/94/बीकानेर दिनांक 15.06.2002 द्वारा अन्य जमीन आवंटन करने हेतु निर्णय पारित कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थी कर प्रश्नगत आवंटन उपनिवेशन नियम, 1975 के नियम 16(4) के तहत निरस्त फरमावे।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री पी.पी. मदान अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस हेतु नियत पेशी पर वकील प्रार्थी द्वारा बहस की गयी। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा किन्तु उनकी ओर से लिखित बहस पेश नहीं हुई।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौरान ए बहस प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 13.08.07 को आयुक्त महोदय, उपनिवेशन विभाग द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। प्रार्थी किसनाराम ने 1983 में आवेदन किया कि उसे आवंटित भूमि नहर व सड़क में अवाप्त हो गयी है। अतः उसे समीस्थ खसरा 6/10 रकबा 20 बीघा भूमि आवंटित की जो पूर्व आवंटी के खाते से निरस्त कर प्रार्थी को दे दी गयी तथा प्रार्थी ने किश्ते जमा करवाकर खातेदारी सनद भी प्राप्त कर ली किन्तु आरएए द्वारा तबादला विधि विरूद्ध मानकर निरस्त कर दिया जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल में की गयी। राजस्व मण्डल द्वारा द्वारा दिनांक 15.06.2002 को दिये गये निर्णय की पालना में आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 13.08.07 को आदेश पारित कर दिये किन्तु क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण आदेश की पालना नहीं हुई है। अतः आदेश की पालना सुनिश्चित करवायी जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15.06.2002 एवं आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 13.08.07 के परिपेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी, पूगल को नियमानुसार समुचित कार्यवाही उनके स्तर से की जानी है। अतः उक्त निर्णय/आदेश की प्रतियां जो पत्रावली पर उपलब्ध है, को मय मूल पत्रावलियों के उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 1 माह में नियमानुसार पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

6. आदेश आज दिनांक **23.12.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर